न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिकी/टीए/2002/10686/भरतपुर.

दरबार सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह जाति राय सिख निवासी ग्राम खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. मु0 हस्सी बाई बेवा दरबार सिंह,
1/2. छुआरसिंह पुत्र दरबार सिंह,
1/3. संतोकसिंह पुत्र दरबार सिंह,
1/4. सुरैनसिंह पुत्र दरबार सिंह,
1/5. मु0 पाछो बाई पुत्री दरबार सिंह पत्नी बुद्धसिंह,
1/6. कलाछो पुत्री दरबार सिंह पत्नी प्रीतम सिंह,
1/7. कश्मीरो पुत्री दरबार सिंह पत्नी निहाल सिंह,
समस्त जाति रायसिख निवसी ग्राम खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.......अपीलार्थीगण

बनाम

1– इन्दर सिंह पुत्र जागर सिंह,
2– वचन सिंह पुत्र जागर सिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
2/1. बलवीर सिंह पुत्र वचनसिंह,
2/2. कश्मीर सिंह पुत्र वचनसिंह,
2/3. सुच्चा सिंह पुत्र वचनसिंह,
2/4. दर्शन सिंह पुत्र वचनसिंह,
2/5. गुरदेव सिंह पुत्र वचनसिंह,
2/6. जरनेल सिंह पुत्र वचनसिंह,
समस्त जाति रायसिख निवासीगण ग्राम खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
3– अमर सिंह पुत्र श्री हरदन्त सिंह रायसिख
4– हरसंव सिंह पुत्र श्री हरदन्त सिंह रायसिख,
5– कमर सिंह पुत्र श्री हरदन्त सिंह रायसिख,
6– मक्खन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रायसिख,
7– कबीर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह रायसिख,
समस्त जाति रायसिख निवासीगण ग्राम खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.............प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थिति :–

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

———

अपील / डिक्री / टीए / 2002 / 10686 / भरतपुर
दरबार सिंह बनाम इन्दरसिंह वगैरह

निर्णय

दिनांक :— 16 / 01 / 25.

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या—120 / 2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—05—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण के पिता श्री दरबार सिंह ने न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर जिला भरतपुर के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम खोहरी स्थित खसरा संख्या 2098 रकबा 7 बीघा नया नं. 3416 रकबा 61 एयर को प्रत्यर्थी के पिता व बाबा जागर सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23—5—67 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामांतकरण संख्या 690 उनके नाम तस्दीक है। जागर सिंह की मृत्यु के पश्चात् इन्दरसिंह 1 / 4, वचन सिंह 1 / 4, अमर सिंह, हरवंस सिंह, कमर सिंह 1 / 4 व मक्खन सिंह 1 / 4 भाग के खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज काश्त है। राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या 2098 रकबा 7 बीघा नवीन नं. 3416 रकबा 61 एयर हुआ जो प्रत्यर्थी के नाम दर्ज होना चाहिये, पुनः कबीर सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज हो गया जिसका बेवा लाभ लाते हुए कबीर सिंह ने पुनः यह भूमि अपीलार्थी दरबार सिंह को दिनांक 24—6—89 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी जो सर्वदा कानून के विरूद्ध है। अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।

अपीलार्थी ने इसका जवाबदावा पेश कर वादपत्र के कथनों से इंकारी प्रकट की गई तथा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3416 रकबा 61 एयर दिनांक 24—6—89 को कबीर सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना अभिकथित करते हुए वादी प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

किये जाने का वाद भी प्रस्तुत किया, जिसका जवाब प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत कर उक्त कथनों को नकारा।

तत्पश्चात् योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–1999 से दोनों वादों को अपास्त कर दिया तथा इन्तकाल संख्या 690 तहसीलदार को रेफर करने हेतु आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर इन्दरसिंह वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील दायर की, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–05–2002 के द्वारा स्वीकार कर प्रत्यर्थी का वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी दरबार सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य विचारण न्यायालय ने दोनों वादों में तनकीयात कायम नहीं की दावा खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलार्थी ने विक्रय पत्र दिनांक 24–6–89, जमाबंदी व गिरदावरी प्रस्तुत कर साबित किया कि वह खातेदार है तथा विवादित आराजी उसके कब्जे में है, फिर भी योग्य विचारण न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद खारिज करने में भारी भूल की है। कबीर सिंह को खातेदारी अधिकार 1–7–70 को प्राप्त हुए व इंतकाल संख्या 675 उसके नाम तस्दीक हुआ। इस प्रकार दिनांक 23–5–67 को कबीर सिंह गैर खातेदार था तथा धारा–41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् गैर खातेदारी अधिकारी स्थानांतरित नहीं होते है। कबीर सिंह को खातेदारी अधिकार दिनांक 1–7–70 को प्राप्त हुए व इंतकाल संख्या 675 उसके नाम तस्दीक हुआ, उसके पूर्व का बेचान स्वतः शून्य है, शून्य बेचाननामे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 33 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया कि उत्तरदाता का दावा मिसकन्सीव है। उत्तरदाता के बेचान पत्र में खसरा संख्या 2078 रकबा 7 बीघा है, जबकि कबीर सिंह को खसरा संख्या 2098 रकबा 7 बीघा की सनद मिली है जिसका नया नं. 3416 रकबा 61 एयर

है पहले तय करते कि खसरा नं. 2078 सही है या 2098 सही है। अपीलार्थी ने खसरा संख्या 2098 को नया नं. 3416 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है एवं इसी संदर्भ में जमाबंदी गिरदावरियां प्रस्तुत की है। दावा में विक्रय पत्र दिनांक 24—6—89 को खारिज करने की प्रार्थना की है जो दीवानी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया कि इन्तकाल संख्या 675 के अनुसार कबीर सिंह गैर खातेदार से खातेदार दिनांक 16—7—90 को दर्ज हुआ है तो इन्तकाल संख्या 690 दिनांक 8—3—70 से कबीर सिंह गैर खातेदार से जीगर के नाम कैसे दर्ज हो गया जो स्पष्ट फर्जकार है, इसलिये एसीएम ने तहसीलदार को रेफरेंस करने को कहा, जो कार्यवाही चल रही है। जब इंतकाल संख्या 690 अवैध है तो उत्तरदातागण के सभी मामलें झूंठे है, फिर भी दावा डिक्री करने में भूल कारित की है। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—5—2002 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि खसरा संख्या 2098 मिन, 2101, 2102, 2381, 2478, 2546 कुल किता 8 रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा प्रत्यर्थी के बाबा जागरसिंह ने प्रत्यर्थी संख्या—7 कबीर सिंह से दिनांक 23—5—67 को जरिये बयनामा खरीद किया था व कब्जा प्राप्त कर लिया था। कबीर सिंह को उक्त आराजी कोस्ट पर आवंटित हुई थी। वर्ष 1967 में कबीर सिंह ने रकम जमा करा कर सनद प्राप्त कर ली व खातेदार हो गया। इंतकाल संख्या 690 क्रेता जागर सिंह के हक में स्वीकृत हो चुका था। जागर सिंह की मृत्यु के बाद आराजी प्रत्यर्थी के नाम दर्ज हो गई, परंतु गत खसरा संख्या 2098 मिन रकबा 7 बीघा जिसका हाल खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 गलती से प्रत्यर्थी कबीर सिंह के नाम रह गया, हमारे नाम होने से रह गया, जबकि कब्जा प्रत्यर्थी का ही था। सहवन से विवादित खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 प्रत्यर्थी कबीर सिंह के नाम रह जाने से उसने दिनांक 24—6—89 को अपीलार्थी दरबार सिंह के पक्ष में पुनः बयनामा करा दिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा दायर किया, किन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि विक्रेता प्रत्यर्थी संख्या 7 कबीर सिंह गैर खातेदार था वह बयनामा

नहीं कर सकता था। द्वितीय क्रेता दरबार सिंह ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद कर दिया, दरबार सिंह का कब्जा नहीं होने के कारण दावा खारिज कर दिया, जिसकी कोई अपील नहीं की। बयनामा 1967 के आधार पर कब्जा प्रत्यर्थी का माना। विक्रेता 1967 में ही आवंटन की राशि जमा कराने पर खातेदार हो गया था। दुबारा बेचान नहीं कर सकता था। धारा–43 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत् प्रत्यर्थी को खातेदारी हक मिल चुके है। उक्त कथनों के आधार पर प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर, नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–5–1999 द्वारा वाद स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी कबीर सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड से कलमजन किया जाकर प्रत्यर्थीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें इस द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादीगण इन्दरसिंह वगैरह ने अपीलार्थी प्रतिवादी दरबार सिंह व प्रत्यर्थी संख्या–7 कबीर सिंह के विरूद्ध ग्राम खोहरी तहसील नगर स्थित आराजी साबिक खसरा संख्या 2098 मिन जिसके नये खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 231/96, अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 पेश कर विवादित भूमि को वादीगण के पिता व बाबा जागर सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 कबीर सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23–5–67 को क्रय किया जाना अभिकथित करते हुए उनके नाम खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी संख्या–2 दरबार सिंह ने वादपत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए हाल आराजी खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 को दिनांक 24–6–89 को बएवज प्रतिफल देकर प्रतिवादी संख्या–1 से क्रय किया जाना बताते हुए बाद खरीद उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार होना बताया तथा यह भी वर्णित किया कि बयनामा दिनांक 23–5–67 में साबिक खसरा संख्या 2098

मिन/7.00 कतई अंकित नहीं है बल्कि उसके स्थान पर साबिक खसरा संख्या 2078/7.00 मिन अंकित है तथा दिनांक 23–5–67 को बयनामा तस्दीक कराने के दिन प्रतिवादी संख्या 1 बयनामा में अंकित आराजी खसरा संख्या का गैर खातेदार था, जिसके कारण गैर खातेदार व्यक्ति को अपनी आराजी को हस्तांतरित करने का कतई अधिकार नहीं है। अतएव प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाये।

वही दूसरी तरफ वादी दरबार सिंह ने प्रतिवादी इन्दरसिंह वगैरह के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिससे प्रतिवादीगण ने इंकारी प्रकट करते हुए खारिज करने का निवेदन किया गया।

योग्य विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दोनों वादों को अपने निर्णय दिनांक 14–5–1999 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया तथा नामांतरण संख्या 690 ग्राम खोहरी गैर खातेदारी में हुए बयनामा को अवैध मानकर तहसीलदार, नगर को रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित कर दिया।

6– उक्त निर्णय दिनांक 14–5–1999 के विरूद्ध प्रत्यर्थी इन्दरसिंह वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षों की बहस सुनकर अपील स्वीकार करने का निर्णय दिनांक 21–05–2002 को पारित कर, प्रत्यर्थी वादीगण का वाद डिक्री करते हुए उन्हें आराजी खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं प्रत्यर्थी कबीर सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड से कलमजन कर वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नकल खसरा पत्रक दिनांक 14–2–91 के अनुसार साबिक खसरा संख्या 2098 मिन रकबा 7 बीघा नवीन खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 कबीर सिंह पुत्र संत नरेन्द्र सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2044–47 के अनुसार खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है. बारानी दोयम सहित अन्य खसरान भूमि कवीर सिंह पुत्र सन्त नरेन्द्र सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है एवं इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2044–47 कबीर सिंह खातेदार के नाम दर्ज है। पंजीकृत बयनामा दिनांक 23–5–67 के अनुसार

कबीर सिंह द्वारा ग्राम खोहरी में आवंटित 25 बीघा 4 बिस्वा भूमि (यथा खसरा संख्या 2098 मिन, 2101, 2381, 2476 व 2546 कुल रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा भूमि) को जागर सिंह के हक में बेचान कर बयनामा पंजीकृत करवाया गया, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में नामांतकरण संख्या 690 दिनांक 23–10–70 को जागर सिंह के नाम दर्ज हुआ। जागर सिंह की मृत्यु के पश्चात् क्रयशुदा आराजी प्रत्यर्थी इन्दरसिंह वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है, परंतु गत खसरा संख्या 2098 मिन रकबा 7 बीघा हाल खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 है0 भूमि कबीर सिंह के नाम अभिलेख में दर्ज रही, जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। जबकि विक्रेता कबीर सिंह को विवादित आराजी कोस्ट पर आवंटित हुई थी, जिस पर कबीर सिंह दिनांक 22–5–67 को रकम जमाकर खातेदार हुआ व दिनांक 23–5–67 को प्रत्यर्थीगण के पिता जागर सिंह के हक में बयनामा कराया था। हालांकि बरवक्त बयनामा विक्रेता कबीर सिंह गैर खातेदार दर्ज था। खातेदार दर्ज होने के बाद प्रत्यर्थी कबीर सिंह ने दिनांक 24–6–89 को अपीलार्थी दरबार सिंह के हक में विवादित आराजी खसरा संख्या 3416 रकबा 0.61 का पुनः बेचान कर दिया। इस संबंध में योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष दो वाद दायर हुए, जिसमें प्रथम दावा प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 23–5–67 के बयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर खसरा नंबर पर नाम दर्ज नहीं होने व अपीलार्थी का नाम दर्ज होने के कारण अपने नाम दर्ज कराने बाबत् किया। वहीं दूसरा दावा अपीलार्थी दरबार सिंह ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24–6–89 के बयनामा के आधार पर धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का किया, जिस पर योग्य विचारण न्यायालय ने दरबारसिंह बनाम इन्दरसिंह वगैरह का दावा कब्जा प्रत्यर्थी का नहीं होने व इन्दरसिंह बनाम कबीरसिंह व दरबार सिंह का दावा विक्रेता कबीरसिंह वरक्त बयमनामा गैर खातेदार दर्ज होने के कारण बयनामा कराने के अधिकार न मानते हुए खारिज किया है। चूंकि हस्तगत अपील दरबार सिंह के वारिसान द्वारा इसी आधार पर प्रस्तुत की गई है कि गैर खातेदार को भूमि के बेचान का अधिकार नहीं है तथा इसके समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1990 पेज 262 में भी इसी अनुरूप अपना अभिमत प्रकट किया गया है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में हम वस्तुस्थिति को देखे तो यह स्पष्ट है कि गैर खातेदार कबीर सिंह को विवादित आराजी कोस्ट पर आंवटित हुई,

जिस पर कबीर सिंह द्वारा दिनांक 22–5–67 को रकम जमा कराकर खातेदार हुआ, जिसे विवादित भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त हो गया, किन्तु इसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नहीं हो सका। तत्पश्चात् आवंटन राशि जमा कराने के उपरांत विवादित भूमि को जागर सिंह के हक में जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 23–5–67 द्वारा विक्रय कर दिया गया, जिस बयनामा दस्तावेज को अवैध नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से वह इस प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह भी स्थिति प्रकट होती है कि कबीर सिंह द्वारा अपने नाम दर्ज इन्द्राज का फायदा उठाते हुए भूमि को पुनः जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 24–6–89 द्वारा अपीलार्थी दरबार सिंह की विक्रय कर दी गई, जो हस्तांतरण संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 43 के तहत् अवैध है तथा ऐसे अवैध हस्तांतरण के माध्यम से अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता।

8– इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–5–2002 के माध्यम से वादी प्रत्यर्थीगण का वाद डिक्री करते हुए उन्हें विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य